राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2011–II जयपुर, दिनांक: 9.07.2018

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–20) की धारा 29 की उपधारा (I) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक विरतण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तरीय (परिपत्र दिनांक 23.05.2018), जिला, तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय (त्रिस्तरीय सतर्कता समिति गठन आदेश दिनांक 07.09.2017) सतर्कता समितियों का गठन स्थायी रूप से किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, शक्तियों एवं कार्यविधि के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप नियमों पर आम–जन से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.07.2018 से विभागीय वेब पोर्टल www.food.raj.nic.in पर प्रकाशित है।

उक्त प्रकाशित नियमों के संबंध में आप अपने सुझाव/आपत्तियां विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध लिंक http://food.raj.nic.in/Rules_Suggestions.aspx के माध्यम से संलग्न सुझाव/आपत्ति फार्म में अथवा किसी भी कार्य दिवस में खाद्य भवन, कमरा नं. 7026, शासन सचिवालय, जयपुर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 25.07.2018 तक प्रस्तुत कर सकते है।

(अंजू राजपाल) 09/07/18
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव